


Govt. E.V. Post Graduate College Korba, C.G.


Contact No. - 07759- 221458, email: gevpg1981@gmail.com, www.gevpgkrb.ac.in AISHE CODE- C-22398

7.1.1 Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity during the last five years


CCTV surveillance in the college



Pravara
PRINCIPAL,
GOVT. ENGINEER VISHWESARRAIYA
P. G. COLLEGE, KORBA (C. G.)




Checking of students ID card




Savane
- PRINCIPAL,
GOVT. ENGINEER VISHWESARRAMA
P. G. COLLEGE, KORBA



Vending machine in girls common room



Bavon
PRINCIPAL,
GOVT. ENGINEER VISHWESARRAIYA
P. G. COLLEGE, KORBA (C. G.)



Complaint box



Korba, Chhattisgarh, India
9P7W+VFV, Korba, Chhattisgarh 495683, India
Lat 22.364496°
Long 82.745837°
16/12/21 01:18 PM

Sarone

PRINCIPAL,
GOVT. ENGINEER VISHWESARRAYA
P. G. COLLEGE, KORBA (C. G.)



Display of Grievance Redressal - Anti-Ragging and Women Harassment

रेगिंग को ना कहिए



रेगिंग विरोधी विद्यार्थी की जानकारी हेतु
UGC के Website: www.ugc.ac.in &
www.antiragging.in को देखें।

रेगिंग क्या है?
जिन कारणों का परिणाम—

- मानसिक/शारीरिक/यौन शोषण में हो।
- भौतिक शोषण।
- अपमान व्यवहार।
- अपराधिक धमकी/गलत बर्ताव डालना।
- मानवीय प्रतिष्ठा को कमजोर बनाना।
- आर्थिक शोषण/जबरन बसुली।
- बल का प्रयोग।

जो छात्र रेगिंग में सम्मिलित होता है तो—

- उसी संस्था से निष्कासित किया जा सकता है।
- छात्रावास से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जा सकती है।
- उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
- उसे किसी भी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है।
- उस पर अपराधिक मुकदमा चला जा सकता है।
- सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे उन छात्रों के खिलाफ स्थायी पुलिसिंग धारण में 1/14 वर्ज करें जो रेगिंग में शामिल होते हैं या रेगिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

क्या आप रेगिंग के शिकार हैं ?
UGC Anti-Ragging Helpline
1800-180-5522(24x7 Toll Free)
पर तत्काल संपर्क करें या helpline@antiragging.in को E-mail भेजें।
अपनी संस्था को रेगिंगमुक्त बनाने में एकजुट हों।

NO RAGGING

शा.इंजी.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा

शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा (उ.ग.)


आंतरिक परिवाद समिति

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतिरोध) अधिनियम 2013 की धारा-4 के पालन में दिनांक 30.07.2021 को आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस कार्यालय में किया गया है।

समिति की सदस्यगण का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
डीकास्टीन अधिवक्ता श्रीमती अल्का श्रीवास्तव	सहा.प्राध्यापक शास.इं.वि.स्नात.महाविद्यालय कोरबा	9827917081
सदस्य 1. श्रीमती प्रतिभा पुण्डलिक	पूर्व सहा.प्राध्यापक शास.इं.वि.स्नात.महाविद्यालय कोरबा	9893410694
2. श्रीमती रंजना दत्ता	अधिवक्ता, कोरबा	9981506656, 8319172784
3. श्रीमती प्राची ठाकुर	एन.जी.ओ. कोरबा	8770152847

► अधिनियम की धारा-9 के तहत कोई व्यक्ति महिला, कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न की शिकायत, घटना की तारीख से 03 माह की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 03 माह की अवधि के भीतर लिखित में गठित आंतरिक परिवाद समिति को कर सकेगी।


► महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न दण्डनीय अपराध है। यह कार्यालय इसका सख्त विरोध करता है।


PRINCIPAL,
 GOVT. ENGINEER VISHWESARRAIYA
 P. G. COLLEGE, KORBA (C. G.)



Helpdesk



 GPS Map Camera



Korba, Chhattisgarh, India
9P7W+VFV, Korba, Chhattisgarh 495683, India
Lat 22.364441°
Long 82.746137°
16/12/21 12:38 PM

Sabna

PRINCIPAL,
GOVT. ENGINEER VISHWESARRAIYA
P. G. COLLEGE, KORBA (C. G.)

